

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-5/891/2020/10-11/2578

भोपाल, दिनांक 27/7/22

प्रेषक :-

सुनील अग्रवाल (भा.व.से.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

वन महानिरीक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड,
नई दिल्ली-110003

विषय:- सिवनी जिले के अन्तर्गत पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी के बफर क्षेत्र में विद्यमान वनग्राम कर्माझिरी को विस्थापित किए जाने हेतु 160.00 हेक्टेयर वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रस्ताव।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/8-13/2020-FC दिनांक 24.05.2022


—0—

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने विषयांकित प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व प्रकरण में वनग्राम कर्माझिरी की अधिसूचना के संबंध में जानकारी चाही गई है।

इस संबंध में लेख है कि वनग्राम कर्माझिरी को कर्माझिरी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। मध्यप्रदेश शासन ने दिनांक 22.07.2022 द्वारा अधिसूचना प्रकाशित की है, जिसकी छायाप्रति संलग्न कर अनुरोध है कि कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(सुनील अग्रवाल)


पृ. क्रमांक/एफ-5/891/2020/10-11/2579

भोपाल, दिनांक 27/7/22

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), सिवनी वृत्त, सिवनी, मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्र संचालक, पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी, मध्यप्रदेश।
3. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, दक्षिण सिवनी, मध्यप्रदेश।
4. उप संचालक, पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 389]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई 2022—आषाढ़ 31, शक 1944

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2022

क्रमांक/एफ 15-04/2022/10-2:: यतः राज्य शासन के विचार में उपरोक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट आरक्षित वन क्षेत्रों का वन्यजीव तथा पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन या विकास के प्रयोजन के लिये पर्याप्त रूप से पारिस्थितिक, प्राणी, वनस्पति तथा प्राणी, विज्ञान महत्व का है।

अतएव, राज्य शासन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 26 क(1)(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त क्षेत्रों को अभयारण्य घोषित करता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात्:-

1. अभयारण्य का नाम - कर्मझिरी अभयारण्य
2. अभयारण्य की विवरण -
 1. जिला - सिवनी
 2. वनमण्डल - पेंच टाड़गर रिजर्व, (बफर जोन)

3. तहसील - कुरई
 4. क्षेत्र का रकबा - 1410.420 हेक्टेयर(आरक्षित वन) (वनग्राम का रकबा 323.800 हेक्टेयर कक्षों में सम्मिलित है)
 कुल रकबा - 1410.420 हेक्टेयर।

5. अभयारण्य में सम्मिलित कक्षवार रकबा:-

अनुक्रमांक	कक्ष क्रमांक	रकबा हेक्टेयर में
1	आर-384	510.330
2	आर-385	467.770
3	आर-386	393.520
4	आर-390	38.800
योग		1410.420

6. अभयारण्य की भौगोलिक सीमाओं का सीमा विवरण निम्नानुसार है:-

दिशा	सीमाओं का विवरण
उत्तर	79°20'13.48"E, 21°50'56.12"N वन कक्ष क्रमांक आर 384, 386 बाह्य उत्तरी सीमा।
पूर्व	79°21'22.49"E, 21°50'13.06"N वन कक्ष क्रमांक आर 386, 385 बाह्य पूर्वी सीमा।
दक्षिण	79°20'09.39"E, 21°48'17.72"N वन कक्ष क्रमांक आर 386, 385 बाह्य दक्षिणी सीमा।
पश्चिम	79°18'34.06"E, 21°49'56.06"N वन कक्ष क्रमांक आर 385, 390 तथा 384 बाह्य पश्चिमी सीमा।

7. उपरोक्त वर्जित क्षेत्र राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अभयारण्य होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 पदमाप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2022

क्रमांक एफ-15-04-2022-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-04-2022-दस-2, दिनांक 22 जुलाई 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 पदमाप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.

Bhopal, the 22nd July 2022

No. F 15-04/2022/10-2 :: Whereas the State Government considers that the Reserved Forest areas specified in the schedule below are of adequate ecological, faunal, floral and zoological significance for the purpose of protecting, propagating or developing wildlife and environment.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 26A (1)(b) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (No.53 of 1972), the State Government, hereby declares said areas to be a Sanctuary, details of which are as under, namely:

1. Name of the Sanctuary - Karmajhiri Sanctuary
2. Description of the Sanctuary
 1. District - Seoni
 2. Forest Division - Pench Tiger Reserve (Buffer Zone)
 3. Tehsil - Kurai
 4. Area - 1410.420 hectare (RF) with (Area of Forest Village 323.800 hectare included in the Compartment)
5. Compartment wise area included in the Sanctuary:-

S.No.	Compartment No	Area in hectare
1	R-384	510.330
2	R-385	467.770
3	R-386	393.520
4	R-390	38.800
		1410.420

6. Boundaries description Geographical boundaries of the Sanctuary are as follows:-

Direction	Boundaries
North	79°20'13.48" E, 21°50'56.12" N-Northern outer Boundary of Forest Compartment No R 384,386
East	79°21'22.49" E, 21°50'13.06" N Eastern outer Boundary of Forest Compartment No R,386, 385.
South	79°20'09.39" E, 21°48'17.72" N Southern outer Boundary of Forest Compartment No R 386,385.
West	79°18'34.06" E, 21°49'56.06" N Western outer Boundary of Forest Compartment No R 385, 390 and 384.

6. The above mentioned area shall be a Sanctuary from the date of publication in the official gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
PADMAPRIYA BALAKRISHNAN, Secy.